सूरह बखरह – 2

ये सूरत मदनी है

Disclaimer:

Arshad Basheer madani ke urdu books ko Roman English mai lane wale ahbab Mubarakbadi ke mustahiq hai ke unoun ne asan kia urdu reading Na janne Waloun ke liye

الحمد لله

فجزاكم الله خيرا

Note : arshad basheer madani ne Word to Word check nahi kia Kiunke bohut books ko roman Kia gaya un sab ko Check karna asan nahi, time ka commitment deegar Urdu books Aur syllabus par laga huva hai is liye badi mazirat ke sat arz hai ke jahan kahin apko pronunciation ya talaffuz mai Diqqat lage Urdu Janne Waloun se asal Kitab ki taraf rujoo farmaen in sha Allaah in sha Allaaah

Askislampedia ki Team ka shukriya ke Roman mai book lane mai madad faramee

Khas tour se

Riaz bhai , shaikh abdullah Umeri, faheem iqbal , Mushtaq ahmed Aur baz sisters bhi hain jo madad kie Aur kuch brothers bhi madad kie Likin ijazat nahi hai ke unka naam zikr Kia jae Allaah qabool farmae sab ki mahant

****

Ameen

Shukriya

Shoba e nashro ishaat,

Askislampedia

बाज़ अहदाफ

- इस सूरत का हदफ़ है 'शरियत ए इस्लामिया और उसका निफाज़'| ज़मीन पर अल्लाह और उसके रसूल की तालीमात पर अमल पैरा होने के लिए जिन जिन खवानीन की ज़रुरत होती है, इस सूरत में बयान कर दिए गए है| 15
- मुनज्ज़ल इस्लाम को मानने और उसके मुताबिख चलने वाला कामयाब और मुबद्दल इस्लाम पर चलने वाला ना काम|
- बनी इस्राईल का मखसूस गुरोह ज़मीन पर दीनी एतेबार से ना अहल की मिसाल है| जबके इब्राहीम अलैहिस्सलाम और उनके मुताईन अहल की मिसाल है| 16
- ये सूरत इबादत व मुआमलात, इसी तरह समाजी, खानदानी, माली और अख्लाखी हर मसले पर मुहीत है| 17
- ये सूरत आप ﷺ के मदीना आने के बाद से वफात तक कई खिस्तों में नाज़िल हुई| 18
- तरीख ए रसूल ﷺ और मन्हज ए सहाबा के मुताबिख अमल करोगे तो अल्लाह ज़मीन पर घल्बा अता करेगा, वरना नहीं|
- इस सूरत के एक हिस्से में तारीख के अहल और न अहल लोगों का ज़िक्र किया गया है और दूसरे हिस्से में ये बताया गया है के किन तालीमात की बुनियाद पर अमल पैरा होने से आदमी अहल बनता है| 19
- ए मुस्तखीम पर खायम रहने वालों (जैसे- आदम, इब्राहीम और याखूब अलैहिमुस्सलाम और उनकी ज़ुर्रियात) और सिरात ए मुस्तखीम पर खायम ना रहने वालों (ना फरमान- बनी इस्राईल) की तारीखी मिसालें दी गयी है|
- सिरात ए मुस्तखीम पर घामज़न रहने के लिए अखाइद और अहकामात के बाब में इस्लाम के मुताबिख ताबेदारी शर्त है| 20
- शरियत ए इस्लामिया ही इंसानियत के तमाम मसाइल का हल है| 21
- सूरह बखरह का एक हिस्सा उम्मत ए दावत और दूसरा हिस्सा उम्मत ए इजाबत से मुताल्लिख है| 22
- दो अज़ीम आयतों से सूरह का इख्तेताम किया गया, ये वो दो आयात है जो मेराज की रात उम्मत के लिए बतौरे तोहफा नवाज़ा गया और ये वो आयात अर्श का खज़ाना है| (सहीहुल जामे:1060)

15. आयत 30, तफसीर इब्न कसीर p 216, तफसीर अलमनार|
16. इख्तेज़ा उस सिरात उल मुस्तखीम इब्ने तैमिय ज़रूर पढ़े|
17. अज़वा उल बयान|
18. खाल अल खुतुबी फी सूरतुल बखरह:मदनियन नज़लत फी मुदादा शित्ता|
19. तफसीर अल मनार|
20. अल बुरहान फी तनासुबी सुवरिल कुरआन लिलगरनाति, p 88|
21. अल अतिमह लिस शेख अल फौज़ान|
22. तफसीर उल मनार:1/107|

बाज़ मौज़ूआत

1. कुरआन अल्लाह की जानिब से बर हख और किताब ए हिदायत है| (1-2)
2. मोमिनो की सिफात और उनका बदला| (3-5)

3. कुफ्फार और मुनाफिखीन की बाज़ सिफात का तज़किरह और मुनाफिखीन के लिए दो मिसालें बयान की गयी| (6-20)
4. अल्लाह की इबादत का हुकुम, अल्लाह की अज़मत और उसकी वहदानियत का बयान| (21-22)
5. काफिरों से कुरआन का challenge के इस जैसा कलाम ले आओ| (23)
6. काफिरों को जहन्नम की धमकी और नार ए जहन्नम की सिफात| (24)
7. मोमिनो को जन्नत की खुशखबरी और जन्नत की सिफात का तज़किरह| (25)
8. कुरआन में मिसालें बयान करने की हिकमत और मुनाफिखों की सिफात का तज़किरह| (26-27)
9. मख्लूखात में तौहीद ए उलूहियत के मज़ाहिर का तज़किरह| (28-29)
10. ज़मीन में आदम अलैहिस्सलाम का खलीफा बनाया जाना और फरिश्तों का उस पर ताज्जुब करना और आदम अलैहिस्सलाम को तमाम अस्मा सिखाये जाने का तज़किरह| (30-32)
11. अल्लाह का इल्म हर चीज़ को इहाता किये हुए है, इसकी दलील बताई गयी है – सुजूद मलैका के ज़रिये आदम अलैहिस्सलाम की तकरीम| (33-34)
12. आदम अलैहिस्सलाम और हव्वा अलैहिस्सलाम को जन्नत में रख कर उनकी तकरीम और उन दोनों से शैतान की दुश्मनी, यहाँ तक के शैतान ने उनको जन्नत से निकाल दिया| (35-36)
13. आदम अलैहिस्सलाम की तौबा और उनका जन्नत से निकाला जाना और जो हिदाया की पैरवी करे उसका बदला| (37-38)
14. जो अल्लाह का इनकार करता है, उसकी सज़ा का तज़किरह| (39)
15. बनी इस्राईल पर अल्लाह के इनामात का तज़किरह और खशीअन की सिफात का बयान| (40-48)
16. फिरौन का बनी इस्राईल से बरताव का तज़किरह| (49-61)
17. मोमिनों के आम सवाब का तज़किरह| (62)
18. यहूदियों की खबाहतें और उन पर दुनियावी अज़ाब का तज़किरह| (63-66)
19. गाय का वाखिया और उससे हासिल होने वाली इब्रतों का तज़किरह| (67-73)
20. यहूदियों के दिल सख्त होने का तज़किरह| (74)
21. यहूदियों का अल्लाह की किताब में तहरीफ़ करने का बयान और उनके निफाख व सज़ा का तज़किरह| (75-81)
22. मोमिनों के सवाब का तज़किरह| (82)
23. यहूदियों की अहद शिकनी का तज़किरह| (83-86)
24. रसूलों के मुताल्लिख यहूदियों के मौखिफ का तज़किरह| (87-91)
25. यहूदियों का अहद करने के बावजूद सरकशी करने का तज़किरह| (92-93)
26. यहूदियों के इस ज़ाम की तरदीद की गयी के जन्नत सिर्फ उनके लिए है| (94-96)
27. यहूदियों का फरिश्तों से दुश्मनी की बिना पर कुफ्र| (97-99)
28. यहूदियों की अहद शिकनी और रसूलों के झुठलाने का तज़किरह| (100-101)
29. जादू की हखीखत का तज़किरह| (102-103)
30. यहूदियों का नबी ﷺ से खिताब का घलत तरीखा और कुफ्फार का मोमिनों से हसद करने का तज़किरह| (104-105)
31. बाज़ आयतों के मंसूख होने का सबूत| (106-108)
32. अहले किताब का मोमिनों से हसद और उनका मोमिनों से मुखाबला| (109-110)

33. यहूद व नसारा की उम्मीदों की तरदीद| (111-113)
34. मसाजिद में सरकशी करने की हुरमत, हर जगह नमाज़ की सहेत का बयान| (114-115)
35. अहले किताब का अपने आप को अल्लाह की औलाद खरार देने का तज़किरह| (116-118)
36. मुहम्मद ﷺ की रिसालत का तज़किरह और साथ ही साथ मोमिनों को यहूद व नसारा की इत्तेबा से डराए जाने का बयान| (119-121)
37. बनी इस्राईल पर अल्लाह की नेमतों का तज़किरह और उनको खियामत से डराने का बयान| (122-123)
38. इब्राहीम अलैहिस्सलाम की आज़माइश का खिस्सा, तामीर ए काबा और तामीर के बाद की दुआ और मक्का के फ़ज़ाइल का तज़किरह| (124-129)
39. मिल्लत ए इब्राहीम से एतेराज़ करने का नुख्सान, यहूदियों के दीन ए इब्राहीमी और गामज़न रहने के अखीदे की तरदीद| (130-141)
40. तहवील ए खिब्ला का ज़िक्र और यहूदियों का रद्द ए अमल| (142-145)
41. रसूल ﷺ की सिफात के बारे में यहूदियों के कित्माने इल्म का तज़किरह| (146-147)
42. नमाज़ में काबा की सिम्त रुख करने का वजूब और उसकी हिकमत| (148-150)
43. नबी ﷺ की मुहीम का तज़किरह| (151)
44. सब्र और उसकी जज़ा और इब्तेला की अनवा का तज़किरह| (152-157)
45. सफा और मरवा के दरमियान सई का तज़किरह| (158)
46. कित्माने इल्म की सज़ा और कुफ्र पर मरने वाले का हुकुम (159-162)
47. अल्लाह की वहदानियत और उसकी खुदरत के मज़ाहिर का तज़किरह| (163-164)
48. खियामत के दिन मुशरिकीन की हालत और उनकी पैरवी करने वालों के ठिकाने का तज़किरह| (165-167)
49. पाकीज़ह हलाल चीज़ें खाने और शैतान से बचने और उसको दुश्मन तसव्वुर करने का बयान| (168-169)
50. अंधी तख्लीद का बयान| (170)
51. कुफ्फार के लिए मिसाल बयान की गयी| (171)
52. तैबात खाने का वजूब और उस पर शुक्र अदा करने का बयान और मुहर्रमात का बयान| (172-173)
53. कित्माने हख की सज़ा| (174-176)
54. 'बिर्र' यानी नेकी की हखीखत बयान की गयी है| (177)
55. खिसास की हिकमत का बयान| (178-179)
56. वसीयत के वजूब और उसको तब्दील कर देने की हुरमत का बयान| (180-182)
57. माह ए रमजान और रोजों की फर्ज़ियत व फ़ज़ीलत का तज़किरह| (183-185)
58. दुआ की फ़ज़ीलत और खबूल होने की शराइत का बयान| (186)
59. रोज़े के अहकाम का ततिम्मह| (187)
60. बातिल तरीखे से लोगों का माल खाने की हुरमत| (188)
61. चाँद का हिसाब और नेकी की हखीखत का बयान| (189)
62. खिताल फी सबीलिल्लाह और इन्फाख फी सबीलिल्लाह का बयान| (190-195)

63. हज और उमरह के अहकामात| (196-203)
64. मुनाफिखों और मोमिनों की सिफात का तज़किरह| (204-207)
65. शैतान की पैरवी और इजतेनाब का हुकुम और उसको दुश्मन मानने का तज़किरह| (208-210)
66. बनी इस्राईल के अहवाल का तज़किरह| (211)
67. काफिरों की हखीखत और मुत्तखीन की उनपर फौखियत का तज़किरह| (212)
68. लोगों को रसूलों की ज़रुरत और रसूलों की पैरवी करने वालों की आज़माइश का बयान| (213-214)
69. नुख्सानात कहाँ खर्च करें, उसका बायान| (215)
70. दीन की दिफा के लिए खिताल का वजूब और उसके बाज़ अहकाम का तज़किरह| (216-217)
71. मुजाहिदीन और उनके मख्सद का तज़किरह| (218)
72. शराब और जुव्वे के नुख्सानात का तज़किरह| (219)
73. यतीमों के साथ हुस्ने सुलूक का हुकुम| (220)
74. मुशरिक औरतों और मरदो से निकाह की हुरमत और उसके सबब का बयान| (221)
75. हालत ए हैज़ में औरतों से दूर रहने का हुकुम| (222)
76. दुबुर में जिमा से हुरमत| (223)
77. अल्लाह की खसम खाने के अहकाम| (224-225)
78. औरतों से इला का हुकुम| (226-227)
79. मुत्लखा की इद्दत, तलाख की गिनती और तलाख के अहकाम का बयान| (228-230)
80. मुत्लखात के साथ हुस्ने सुलूक का बयान| (231-232)
81. रज़ात के अहकाम और बाप पर मुर्जिया के नफ्खे का वजूब| (233)
82. बेवा की इद्दत का बयान| (234-235)
83. दुखूल से पहले मुत्लखा के हुखूख का बयान| (236-237)
84. नमाज़ की हिफाज़त का बयान| (238-239)
85. बेवाह और मुत्लखा के बाज़ अहकाम| (240-242)
86. साबेखा उम्मत की हालत और बुज़दिली की खबाहत| (243)
87. अल्लाह की राह में जिहाद और इन्फाख करने वालों की फ़ज़ीलत| (244-245)
88. बनी इस्राईल के अहवाल और तालूत का वाखिया| (246-252)
89. रसूलों के दर्जात और लोगों के इख्तेलाफ की हिकमत का बयान| (253)
90. इन्फाख के वजूब और इन्फाख ना करने वालों को धमकी नेज़ खियामत के दिन की सिफात का बयान| (254)
91. आयतल कुरसी – कुरआन की सब से अज़ीम आयत है| (255)
92. दीन में कोई ज़बरदस्ती नहीं है, लेकिन जो इसको थाम ले उसने ऐसे मज़बूत कड़े (अलुरवतुल वुस्खा) को थाम लिया जो कभी टूटेगा नहीं| (256)
93. मोमिनों का दोस्त अल्लाह है और कुफ्फार का दोस्त शैतान है, और दोनों में फर्ख है| (257)
94. नमरूद और इब्राहीम अलैहिस्सलाम का खिस्सा| (258)
95. उज़ैर अलैहिस्सलाम का खिस्सा जिनको अल्लाह ने सौ साल मौत देकर दोबारा ज़िन्दा किया जिसमे अल्लाह दोबारा ज़िन्दा करने की खुदरत का बयान है| (259)

96. इब्राहीम अलैहिस्सलाम की अहया मोती को देखने की अल्लाह से दरख्वास्त और उसके वखू का तज़किरह| (260)
97. इन्फाख फी सबीलिल्लाह करने वालों की मिसाल और इन्फाख के अहकाम का बयान| (261-267)
98. अल्लाह के वादे सच्चे और शैतान के वादे झूठे| (268-269)
99. जहरी और सिर्री सदखात और उनके बदले का बयान| (270-271)
100. सदखात के मुस्तहिखीन और इन्फाख करने वालों के अजर का बयान| (272-274)
101. सूद की हुरमत और मुआशरे और फर्द पर उसके नुख्सानात का तज़किरह| (275-281)
102. खर्ज, गवाही और रहन के अहकामात का बयान| (282-283)
103. अल्लाह का इल्म और उसकी खुदरत हर चीज़ को इहाता किये हुए है| (284)
104. रसूलों और मोमिनों का अखीदा और उनका हर हाल में अल्लाह की तरफ रुजू होने का बयान| (285-286)

बाज़ अस्बाख

1. इन्सान इस ज़मीन पर अल्लाह का खलीफा है, इस नज़रिये का सबूत कुरआन में कहीं पर भी नहीं| (23)
2. बनी इस्राईल की ग़लतियों का ज़िक्र किया गया, ताके उम्मत ए मुहम्मदिया, उन ग़लतियों को ना दोहराए| (40-104)
3. मुआशरे की इस्लाही तदाबीर का ज़िक्र किया गया| (179,180,183,195)
4. जिस घर में इस सूरत की तिलावत होगी, वहां से शैतान भाग जाते है| (मुस्लिम:804)
5. आयतुल कुरसी को दावती व इस्लाही मैदान में शिर्क के खिले ख़म करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है|
6. आयतुल कुरसी में अल्लाह ताला ही के माबूद ए हखीखी होने का दावा पेश किया गया, जिसके सबूत के लिए बारह वजूहात बयान की गयी है| (----------) दावा है और इसके बारह वजूहात मंदरजे ज़ेल है:
   (1) ---------- (12)| 24
7. अल्लाह जिसके दिल पर मुहर लगादे वो कभी हिदायत नहीं पा सकता|
8. ईमान सिर्फ जुबान से इखरार का नाम नहीं, बलके आज़ा व जवर से अमल करना और दिल में यखीन करने का नाम है|
9. जहन्नुम मौजूद है जो काफिरों के लिए तैयार की जा चुकी है|
10. हिदायत देना और गुमराह करना सिर्फ अल्लाह के हाथ में है| लेकिन अल्लाह किसको हिदायत देगा और किसको गुमराह करेगा, उसकी भी वज़ाहत कुरआन में है| अल्लाह ताला हिदायत तलबी की तड़प रखने वालों को हिदायत देता है और फासिख व फाजिर को हिदायत नहीं देता| (----------)
11. हिदायत व ज़लालत का फैसला अदल व इन्साफ की बुनियाद पर किया जाता है, ज़ुल्म की बुनियाद पर नहीं, क्यों के सूरह इंसान के हवाले के मुताबिख, जब अल्लाह ताला ने इंसान को अच्छे और बुरे के करने की आज़ादी देदी, तो ज़ुल्म कैसे? (----------)

12. घैब सिर्फ अल्लाह जानता है|
13. इंसानों की तरह जिन्नात भी शरियत ए इस्लाम के मुकल्लफ़ है|
14. दुनियावी अहकाम ज़ाहिर को बुनियाद बनाकर लगाये जाते है, क्यों के बातिन सिर्फ अल्लाह जानता है|
15. मुआमलात में असल हुकुम जवाज़ का है, सिवाए उसके जिसके मना की दलील हो|
16. यखीन व तस्दीख ईमान का बड़ा मरतबा है और उख्रवी फलाह की ज़मानत यखीन रखने वालों के लिए है|
17. इ फा ए अहद वाजिब है, इसको तोड़ने वाला अल्लाह के पास फासिख कह लाता है|
18. झूठ की खबाहत बयान की गयी है, इससे आदमी झूटों में लिख दिया जाता है|
19. खतल व खूनरेज़ी करना हराम है, फ़रिश्ते भी उसकी बुराई बयान करते है|
20. तकब्बुर का अंजाम बहुत बुरा है, जिसकी पहली मिसाल इब्लीस है|
21. इल्म हासिल करने में अदब ज़रूरी है, इन्सान अगर न जानता हो तो उसको खालिख की तरफ मंसूब करदे, यानी वल्लाहु आलम कहे|
22. गुनाहों पर इख्दाम करना ज़ुल्म है|
23. तख्वा हर खैर की कुंजी है, जो तख्वा इख्तियार करे उसने दीन को मज़बूती से थाम लिया|
24. दीन की ज़िम्मेदारी सिर्फ पढ़ कर सुनाने और पहुँचाने की है, हिदायत अल्लाह के हाथ में है|
25. दिल तमाम आज़ा का सरदार है, अगर वो दुरुस्त हो तो सारा बदन दुरुस्त रहता है|
26. निफाख मुस्लिम मुआशरे का सबसे खतरनाक दुश्मन है|
27. जो धोका देगा उसका अंजाम उसे भुगतना पड़ेगा|
28. धोका देना, मज़ाख उडाना, ज़मीन में फसाद फैलाना, इस्लाह के सिर्फ दावे करना और घैर शऊरी ज़िन्दगी गुज़ारना, ये तमाम मुनाफिखीन की अलामतें है|
29. दीन की दावत तमाम को दी जानी चाहिए, हत्ता के मुनाफिखीन को भी इस्लाह की दावत दी जानी चाहिए|
30. अल्लाह बन्दों को अपनी आयतों और अहकाम से आज़माता है, ताके बुरे को अच्छे से अलग करदे|
31. शैतान आदम और बनी आदम का दुश्मन है|
32. ये इल्म की फ़ज़ीलत ही है के अल्लाह के हुकुम से फरिश्तों ने आदम को सजदा किया|
33. इस्लाम मर्द व औरत दोनों के लिए है और दोनों से भी सवाल होगा|
34. हर आदमी अपने अमल का जवाबदेह है|
35. यहूद और नसारा दोनों को अल्लाह के आखरी रसूल ﷺ पर ईमान लाना पड़ेगा|
36. दुनिया की घर्ज़ से इल्म ए दीन हासिल करना हराम है|
37. तमाने इल्म यानी इल्म को छुपाना बहुत बड़ा गुनाह है|
38. खुशू एक ऐसा खल्बी अमल है जिससे नमाज़ में जान पैदा हो जाती है|
39. भलाई का हुकुम देकर खुद अमल ना करने वाले के लिए वईद है|
40. कम इल्म के मुखाबले में आलिम की ज़िम्मेदारी ज़्यादा है|
41. नमाज़ हर छोटे बड़े काम में मुआविन है|
42. ना फरमानों की अलामत ये है के उस पर इतात बहुत साख गुज़रती है|

43. खैर पर शुक्र और शर पर सब्र करने से बंदा बुलंद दरजात पाता है|
44. शिर्क तमाम गुनाहों में सबसे बड़ा गुनाह है|
45. अल्लाह ही फ़ज़्ल व एहसान वाला है, रिज्ख उसी के हाथ में है|
46. शदाइद पर अल्लाह की तरफ पलटना, फखीरी ज़ाहिर करना और मदद तलब करना अच्छा तरज़े अमल है|
47. पाकीज़ह अश्या हलाल की गयी है|
48. नेमत पर सजदा ए शुक्र अदा किया जाना चाहिए|
49. लोग एक जाह हो तो एक ऐसा नज़्म होना ज़रूरी है, जिससे सबको सहूलत हो|
50. शरियत में किसी भी हुकुम पर मुत्लख अमल करना है, ना के बारीकियां निकालना-ग़ैर ज़रूरी सवालात जिसका मख्सद अमल ना हो, बस ला यानी हो तो ममनू है|
51. मज़ाख उडाना जिहालत की निशानी है|
52. अल्लाह के हुकुम पर अमल करना वाजिब है|
53. मुरब्बी जब बीमारी बताये तो फ़ौरन इसका हल और दवा भी बताये|
54. ज़ुल्म करने वाला खुद का नुख्सान करता है और फिर उसकी भर पायी उसी को करनी पढ़ती है|
55. अल्लाह की शुक्र गुज़ारी ये है के उसकी मासियत ना की जाए|
56. ईमान के साथ अमल भी ज़रूरी है|
57. शरियत पर मज़बूती से अमल करना चाहिए|
58. जो अल्लाह की निशानियों से फाइदा न उठाये, उसका दिल पत्थर का हो जाता है|
59. अल्लाह के कलाम करने की दलील है, वो जिसे चाहे, जहां चाहे, और जब चाहे कलाम करता है|
60. अल्लाह ज़ाहिर व बातिन दोनो को जानता है|
61. ईमान के लिए अमल शर्त है और अमल का सालेह होना ज़रूरी है|
62. हर उम्मत पर अल्लाह रब्बुल आलमीन की खालिस कमा हख्खहू इबादत करना फ़र्ज़ है|
63. रोज़ ए खियामत बाज़ अज़ाब बाज़ से बहुत सख्त होंगे|
64. मुहम्मद ﷺ अहले किताब की तरफ भी रसूल है|
65. अम्बिया मासूम अनिल खता है|
66. जादूगर काफिर है|
67. मोमिन को जो भी तकलीफ पहुचती है वो एक मुखद्दर अम्र है|
68. दीन में तहरीफ़ व तब्दीली या नयी बात ईजाद करना हलाकत का बाइस है|
69. लोगों को उनके शहरों से निकालना हराम है|
70. बाज़ उमूर ए इस्लाम पर ईमान लाना और बाज़ को छोडना जाएज़ नहीं|
71. रसूलुल्लाह ﷺ के लिए ना मुनासिब अलफाज़ इस्तेमाल करना हराम है|
72. नुस्ख अखलन मुमकिन है और ये पिछली शरियतों में भी हुआ करता था| मंसूख करना कम इल्मी की अलामत नहीं, बलके मबनी बर हिकमत हो जाता है, जैसे के हकीम व doctor बीमारी के हिसाब से नुस्खे बदलते है|

73. जिसको हख वाज़ेह न हो और न जान सके वो माज़ूर है, मगर हख जानने के बाद कोई उज़्र खाबिले खबूल नहीं|
74. अगर कोई ग़लती से एक जहेत को खिबला मानते हुए नमाज़ अदा करले तो वो दुरुस्त मानी जायेगी|
75. यहूद का जुर्म ये भी है के वो घैबी उमूर में झूठ और जुर्रतमंदी करते थे|
76. वालिदैन के साथ हुस्ने सुलूक करना वाजिब है|
77. रिश्तेदारों के साथ हुस्ने सुलूक करना वाजिब है|
78. यतीमों की किफालत और मिसकीनों की मदद मर्घूब अमल है|
79. हसद बुरे अखलाख में से है, जिसमे इन्सान दूसरों की नेमत छिन जाने की तमन्ना रखता है|
80. इल्मी बहस व गुफ्तगू दलील व बुरहान की बुनियाद पर होनी चाहिए|
81. यखीन ए सादिख रखने वाला ही कुरआन से सही फाइदा उठाता है|
82. आलिम के इन्हेराफ करने में ज़्यादा नुख्सान है|
83. दिलों को मानवी बीमारी गुनाहों की वजह से लगती है|
84. बातिल पर तास्सुब बरतना गुमराही की अलामत है|
85. जब इन्सान हख से एराज़ करता है तो बातिल उसके दिल में घर कर जाता है|
86. दुनियवी ज़िन्दगी की हिर्स यहूद करते थे, जिस पर कुरआन ने मज़म्मत कर दी|
87. जो गुमराह होता है वो अपनी गुमराही से खुद नुख्सान उठाता है, उससे दाई व मुरब्बी को कोई नुख्सान नहीं पहुंचता|
88. अहदे इमामत, खिलाफत या नबुव्वत को कहते है, जो सिर्फ सालिहीन को मिलती है|
89. वसीला और दुआ में अल्लाह के अस्मा ए हुसना का हवाला दे सकते है|
90. सच्ची हिदायत न यहूदियों के पास है और न ईसाईयों के पास, बलके इब्राहीम अलैहिस्सलाम की मिल्लत और मुहम्मद ﷺ के पास है|
91. तमाम अम्बिया पर उमूमन और मुहम्मद ﷺ पर खुसूसन ईमान लाना ज़रूरी है|
92. दुनियावी व दीनी उमूर में ज़ालिम को इमामत नहीं दी जा सकती और न बाखी रहती है|
93. हुरमत सिर्फ बैतुल्लाह की नहीं बलके पूरे मक्का मुकर्रमा की है|
94. मस्जिद ए हराम में एतेकाफ़ करना मशरू है|
95. इब्राहीम अलैहिस्सलाम की उम्मत ए मुहम्मदिया के लिए भी है, सिवाए उन बातों के जो मंसूख करदी गयी है|
96. हर इन्सान से ये मतलूब है के वो अल्लाह के सामने तौबा करे|
97. इमामत आज़माइश के बाद अता की जाती है, जैसे इब्राहीम अलैहिस्सलाम को मिली|
98. बन्दे की कामिल सआदत इसी में है के वो अल्लाह की खज़ा व खदर को तस्लीम करे|
99. दाई को चाहिए के वो अपनी ज़ुर्रियत के लिए दुआ करे|
100. बैतुल्लाह की तरफ लोगों के दिल खिचे चले आते है, लिहाज़ा जो बैतुल्लाह की ताज़ीम करता है, वो दीन की ताज़ीम है|
101. रिसालत के मखासिद में तज़किया व तरबियत भी है|
102. इस्लामी तरबियत का असर ये होता है के वो रूह और नुफूस को इलाही रंग में रंगती है|

103. अमल भी ईमान ही है, जैसे अल्लाह ने सलात को ईमान कहा|
104. वाज़ेह तौर पर मदद के लिए कहा गया है जो शरियत का हुकुम है, और वो अल्लाह ही है जिससे मदद ली जा सकती है|
105. आलम ए बरज़ख बर हख है|
106. उख्रवी उमूर को कोई महसूस नहीं कर सकता|
107. काफिर के लिए होने वाली वईद उसी वख्त सादिख आएगी जब वो कुफ्र पर मरे|
108. खिबला रुख होकर सलाह अदा करना वाजिब है|
109. सफा व मरवा की सई, जो हज व उमरह का रुकुन है, अल्लाह के सहाइर में से है|
110. अल्लाह का ज़िक्र करने का हुकुम है|
111. शुक्र गुज़ारी कुफ्र की ज़िद्द है और हर मोमिन को अल्लाह गुज़ार बनना चाहिए|
112. अल्लाह के मन्हज से दूरी की वजह से बेवखूफी पैदा होती है|
113. नूर ए वही बघैर तरबियत नही हो सकती|
114. अल्लाह के साथ मुहब्बत में किसी को शरीक नहीं किया जा सकता, जबके मुशरिकीन ए मक्का अपने बुतों से भी मुहब्बत करते थे|
115. किसी चीज़ को हलाल व हराम करने का हख सिर्फ और सिर्फ अल्लाह का है|
116. जिस तरह तखलीख में कोई शरीक नहीं, इसी तरह अम्र व नवाही में भी कोई शरीक नहीं|
117. अल्लाह से मुताल्लिख कोई बात बघैर इल्म के नहीं कहनी चाहिए|
118. ज़ुबाह करने से पहले जो जानवर मर जाए, वो हराम है|
119. खून खाना भी हराम है|
120. सुव्वर का गोश्त हराम है| उसका चमड़ा, चर्बी और गोश्त सब हराम है|
121. जिस जानवर पर अल्लाह का नाम न लिया गया हो इसका खाना हराम है|
122. ग़ैरुल्लाह के नाम पर ज़ुबाह किया गया जानवर खाना भी हराम है|
123. शैतान की इत्तेबा करने से मना किया गया है|
124. नियत का बराबर होना ज़रूरी है|
125. वसीयत को बदलना हराम है, सिवाए इसके के वसीयत शरियत के खिलाफ हो|
126. अगर वसीयत करने वाला अमलन शरियत के खिलाफ वसीयत करे तो वो गुनाहगार है|
127. मुसाफिर अपने रोज़े को मुअखर कर सकता है|
128. उमर रसीदह अपने छोड़े हुए रोज़े के बदले फिदया दे सकता है|
129. हालत ए जनाबत में भी रोज़ा रख सकते है, मगर नमाज़ से पहले घुसल करले|
130. ना हख किसी का माल खा जाना हराम है|
131. खाज़ी या हाकिम के फैसले से हराम हलाल नहीं बन सकता|
132. हालात ए जंग में भी मुसलमान हद से आगे नहीं बढ़ सकते|
133. दावत से पहले खिताल नहीं कर सकते|
134. मुसला (जिस्म के टुकड़े करना) नहीं कर सकते|
135. बच्चों, औरतों और बूढों को खतल नहीं कर सकते|

136. अपनी जान, माल और इज्ज़त का दिफ़ा कर सकते है|

137. जो हालत ए इह्राम में जिमा करले, उसे चाहिए के वो आइन्दा साल उसकी फिर से खज़ा करे|

138. इस्तेआत हो जाने के साथ ही हज अदा करना फ़र्ज़ है|

139. दुआ की खबूलियत के लिए इखलास, अज्म, हाज़िर खल्बी का होना और ज़ुल्म व उजलत से बचना ज़रूरी है|

140. अल्लाह ने माल को खैर से ताबीर किया और इसकी हिफाज़त करने का हुकुम दिया|

141. लोगों के मालों की हिफाज़त व अहमियत में किसी खिस्म की कोई कमी नहीं करनी चाहिए|

142. हज और उमरह खालिस अल्लाह के लिए होना चाहिए|

143. जिस तक इस्लाम का पैघाम नहीं पहुंचा और वो कुफ्र पर रहा तो खियामत के दिन उसका शुमार अहले फित्रह में होगा फिर एक इम्तेहान लेकर फैसला किया जाएगा| (शेख अल्बानी)

144. दुश्मन से भिड़ने के लिए और उसके शर को दूर करने के लिए तय्यार रहना चाहिए|

145. जो औलाद ना बालिघ हो उनका नुफ्खा वालिदैन पर वाजिब है और बखिया रिश्तेदार वालिदैन के ज़िम्मेदार है, इसी तरह औलाद जब बालिघ हो जाये अपने वालिदैन की ज़िम्मेदार है|

146. दीन ए इस्लाम लोगों का नफ़ा चाहता है और उन्हें फसाद से दूर करना चाहता है|

147. इस्लाम में अखले सलीम को काफी अहमियत दी गयी है और उसकी हिफाज़त करने का हुकुम दिया गया है|

148. इस्लाम मुआमलात में हर्ज को ख़तम करने आया है|

149. अल्लाह ने हर इन्सान को अमल में आज़ाद पैदा किया है, किसी को मजबूर पैदा नहीं किया|

150. मुशरिक औरतों से निकाह हराम है, इसी तरह मुल्हिद और मुर्तद से भी निकाह हराम है|

151. अहले किताब की औरतों से निकाह हराम है, इसी तरह मुल्हिद और मुर्तद से भी निकाह हराम है|

152. औरत के दुबुर में जिमा करना हराम है|

153. इला (बीवी से दूर रहने की खसम खाना) की आखरी मुद्दत चार माह है|

154. घैर हामेला मुत्लखा औरत की इद्दत तीन खुरू है|

155. इला करने वाला जिमा करले तो उस पर कफ्फारा है|

156. अगर महर मुखर्रर ना हो तो महर ए मिस्ल दिया जाये|

157. अगर तलाख ए रजई की मुद्दत में कोई अपनी बीवी से रुजू करना चाहे तो कर सकता है|

158. दो तलाख तक आदमी रुजू कर सकता है, तीसरे में रुजू नहीं|

159. निकाह ए मता हराम है|

160. औरत को खुला का हख हासिल है|

161. तलाख ए बाइन के बाद रुजू की खातिर जो निकाह शर्त है अगर वो निकाह फासिद हो तो वो औरत पहले शौहर के लिए हलाल नहीं हो सकती|

162. अल्लाह की आयतों का मज़ाख उडाना कुफ्फार की अलामत है|

163. औरतों के औलिया को मना किया गया है के वो औरतों को अपने शौहरों के पास जाने से रोके|

164. बच्चे को दूध पिलाने की (ज़्यादा से ज़्यादा) मुद्दत दो साल है|

165. बच्चे और दूध पिलाने वाली का नान नुफ्खा बच्चे के बाप पर है|

166. बच्चे की परवरिश उसकी माँ ही करेगी, जब तक के वो किसी और ने निकाह न करले|

167. नमाज़ को ताखीर करके पढना जाएज़ नहीं है|

168. बेवा औरत अपने शौहर के घर में इद्दत गुज़ारेगी|

169. अल्लाह के हुदूद को जानने के लिए इल्म हासिल करना ज़रूरी है|

170. अम्बिया में हम अपनी तरफ से फर्ख नहीं कर सकते, लेकिन अल्लाह ने एक रसूल को दूसरे रसूल पर फ़ज़ीलत दी तो हम वो बयान कर सकते है, बघैर किसी तन्खीस व तहखीर व फखर के-फ़ज़ीलत ए अहवाल, खसाइस और मुअजिज़ात में होती है|

171. अल्लाह ने उनको फ़ज़ीलत अता की जो इस्लाम पर अमल पैरा है|

172. फ़ज़ल व फ़ज़ीलत उसी से मांगे जो साहबे फ़ज़ल है, घैरों से फ़ज़ल माँगना निदामत का सबब है, और अल्लाह ही है जो सब से नवाज़ता है|

173. अखीदा के मुआमले में जिदाल करना जाएज़ है, तमाम अम्बिया की ये सुन्नत रही है|

174. अगर ज़म्मी को मजबूर किया जाये तब भी उसके इस्लाम को खबूल नहीं किया जायेगा, अगर राज़ी ब राजा हो जाये तब मुअतबर होगा|

175. खिताल दुनियावी अघ्राज़ से पाक हो, इखलास के साथ किया जाना चाहिए|

176. सकीनत सुकून से है, जिसको अल्लाह शिद्दत व खौफ के वख्त अपने मोमिन बन्दों के दिलों पर नाज़िल करता है|

177. खिताल के वख्त दुआ करना नुसरत के बड़े असबाब में से है|

178. तख्दीर से डरना और भागने से कोई फाइदा नहीं|

179. दुश्मन से मुडभेड की तमन्ना और दुआ नही कर सकते और जब भिड जाये तो सब्र के साथ लड़ना ज़रूरी हो जाता है|

180. मुरब्बी और खाइद को चाहिए के वो लोगों की बातों के नताइज और अंजाम को वाज़ेह करें|

181. अल्लाह की मदद व नुसरत के लिए खिल्लत व कसरत का कोई एतेबार नहीं|

182. जब जंग का वख्त आएगा उस वख्त कमज़ोरों की कमज़ोरी वाज़ेह होगी|

183. लश्कर अगर खाइद की इतात करे ये भी नुसरत के असबाब में से है|

184. अल्लाह पर ईमान और उसकी मुलाखात की तस्दीख सब्र के हुसूल का ज़रिया है|

185. एहसान जताना मज्मूम है, इससे सद्खा व खैरात का सवाब जाता रहता है|

186. भली बात भी सद्खा है|

187. इस्लाम अच्छे माल से खैरात करने की ताकीद करता है|

188. लोगों से चिमट कर सवाल करना मज्मूम है|

189. लोगों के लिए वही पसंद करे जो अपने लिए पसंद करे|

190. जिसे इल्म ए दीन दिया जाये वो अपनी खदर करे और दुनिया की खातिर दुनिया वालों की तरफ न झुके|

191. हर भलाई, सद्खा व खैरात हखीखत में उसी की तरफ लौट कर आने वाले है|

192. अमली गुनहगार मोमिन हमेशा जहन्नम में नहीं रहेगा, बलके अपने करतूत का बदला पाकर आखिर में वो जन्नत में जायेगा|

193. हर खिसम की तिजारत जाएज़ है, सिवाए इस तिजारत के जो शरियत में मना करदी गयी|

194. सूद ख़तई तौर पर हराम है और अल्लाह ने सूदी लेन देन करने वालों से एलान ए जंग किया है|

195. खर्ज देना महबूब अमल है और खर्ज देने वाला अपने खर्ज को पूरा पूरा ले सकता है|

196. जिस का खर्ज ज़्यादा हो वो खर्ज देने वाला खर्ज लेने वाले की ज़रूरतों को छोड़ कर हर चीज़ ले सकता है|

197. अगर कोई बात तै हो जाये, फिर इस बात से मुकर जाये तो यही 'बख्स' कह लाया जाता है|

198. गवाही सिर्फ मुसलमानों की ही खबूल की जाएगी|

199. माली उमूर में औरत भी गवाह बन सकती है|

200. गवाह में अदालत (तख्वा, मुरव्वत और इत्तेबा ए सुन्नत) होना ज़रुरी है|

201. गवाही व शहादत के लिए जब बुलाया जाये तो इनकार नहीं कर सकते|

202. रहन रखना (शरियत के दाइरे में) मशरू है, लेकिन वाजिब नहीं|

203. अहले कबाइर के गुनाह अल्लाह चाहे तो माफ़ करेगा|

204. वसवसे पर गिरिफ्त नहीं की जाएगी, अगर इस पर अज्म मुसम्मम हो तो उस पर सवाल होगा|

205. निस्यान पर गुनाह नहीं और उस पर सवाल भी नहीं होगा|

206. ग़लती जो बघैर इरादे के हो जाये, उस पर गिरिफ्त नहीं होगी, अगर जान बूझ कर की जाये तो उस पर गिरिफ्त होगी|

207. इज्तेहाद करने वाला ग़लती करे तो उस पर कोई गुनाह नहीं|

208. खैर के लिए कसब का लफ्ज़ इस्तेमाल किया और शर के लिए इक्तेसाब, दोनों में फर्ख ये है के फितरी अमल है और शर के लिए इन्सान तकल्लुफ करता है|

209. इब्ने हज़म रहिमहुल्लाह कहते है के अल्लाह ने जो बातें फ़र्ज़ की है, अगर इन्सान ताखत रखता है, तो इसको लाज़िम करना है, वरना नहीं, अगर बाज़ अहकामात पर खुदरत रखता हो तो उसका वो जवाब देह होगा चाहे वो थोडा ही हो|

23 तफसील के लिए देखिये तफसीर अहसनुल बयान|

24 सहर आयतुल कुरसी – अब्दुल रज्जाख अल बदर अल अब्बाद|

मुनासिबत / लतैफुत तफसीर

- सूरह बखरह और सूरह अल इमरान का मुस्तरिक मौज़ू “इसबात ए रिसालत” है|
- सूरह फातिहा में अल्लाह की हम्द व अस्मा जबके आने वाली सूरतों बखरह और अल इमरान में (इसबात रिसालत)|
- अल मघज़ूब-सूरह अल बखरह और सूरह निसा में इसकी मुकम्मल तशरीह की गयी है|
- अज़ ज़ालीन-सूरह अल इमरान और सूरह माइदा में इसकी मुकम्मल तशरीह की गयी है| 25
- ‘इह्दिना’ दुआ मांगी गयी-“हुदल लिन्नास” दुआ खबूल हो गयी|
- इस सूरत की इब्तेदा जामे ईमान (2:3) वस्त भी जामे ईमान (2:136) और इख्तेताम भी जामे ईमान (2:285) से किया गया| 26

25 तफसील के लिए देखें दोनों खौमों के बारे में: दरसात फिल अदयान| अल यहूद वन नस्रानियाह-लिस शेख सौद अल खलफ|
26 मज्मू फतावा 19:108

हिफ्ज़ व तदब्बुर आयात व हदीस बराए तज़कीर, तज़किया, दावत और इस्लाह

आयत 1: खाल ताला: (----------) (अल बखरह)
तरजुमा: इस किताब (के अल्लाह की किताब होने) में कोई शक नहीं, परहेज़गारों को राह दिखाने वाली है|

आयत 2: खाल ताला: (----------) (अल बखरह)
तरजुमा: और जब उनसे कहा जाता है के और लोगों (यानी सहाबा) की तरह तुम भी ईमान लाओ, तो जवाब देते है के क्या हम ऐसा ईमान लायें जैसा बेवखूफ़ लाये है, खबरदार हो जाओ! यखीनन यही बेवखूफ़ है, लेकिन जानते नहीं|

आयत 3: खाल ताला: (----------) (अल बखरह)
तरजुमा: अल्लाह ताला ही माबूद ए बरहख है, जिसके सिवा कोई माबूद नहीं, जो ज़िंदा और सब का थामने वाला है, जिसे न ऊंघ आये न नींद, उसकी मिलकियत में ज़मीन और आसमानों की तमाम चीज़ें है, कौन है जो उसकी इजाज़त के बघैर उसके सामने शिफाअत कर सके, वो जानता है जो उसके सामने है और जो उनके पीछे है और वो इसके इल्म में से किसी चीज़ का इहाता नहीं कर सकते, मगर जितना वो चाहे, उसकी कुरसी की वुसात ने आसमानों और ज़मीन को घेर रखा है और अल्लाह ताला उनकी हिफाज़त से न थकता और न उक्ताता है, वो तो बहुत बुलंद और बहुत अज़मत वाला है|

हदीस 1: (----------)

तरजुमा: आप ﷺ फरमाते है के कुरआन ए मजीद पढ़ा करो, क्यों के ये खियामत के दिन अपने पढने वालों के लिए सिफारिशी बन कर आएगा और दो रौशन सूरतों को पढ़ा करो, सूरह बखरह और सूरह अल इमरान, क्यों के खियामत के दिन इस तरह आयेंगे जैसे के दो बादल हो या दो सायेबान हो या दो उड़ते हुए परिंदों की खतरें हो और वो अपने पढने वालों के बारे में इन्घदा करेंगी, सूरह बखरह पढ़ा करो, क्यों के इसका पढना बाइस ए बरकत है और इसका छोड़ना बाइस ए हसरत है और जादूगर इसको हासिल करने की ताखत नहीं रखते (यानी मुखाबला नहीं कर सकते)|

हदीस 2:
तरजुमा: यहूद इकहत्तर (71) फिरखों में बटे, जिनमे से एक फिरखा जन्नती है और सत्तर फिरखे जहन्नमी, और नसारा बहत्तर (72) फिरखों में बटे, जिनमे एक फिरखा जन्नती है और इकहत्तर जहन्नमी और खसम है उस ज़ात की जिसके हाथ में मुहम्मद ﷺ की जान है! मेरी उम्मत तिहत्तर (73) फिरखों में बटेगी, जिनमे सिर्फ एक फिरखा जन्नती होगा और बाखी बहत्तर फिरखे जहन्नमी, अर्ज़ किया गया, ऐ अल्लाह के रसूल वो कौन लोग होंगे? फ़रमाया: वो जमात होंगे|
और सुनन तिरमिज़ी में अब्दुल्लाह बिन अमर रज़िअल्लाहुअन्हु की रिवायत है के सहाबा ने अर्ज़ किया, ऐ अल्लाह के रसूल ! ये जन्नती फिरखा कौन है? फ़रमाया: “मा अन अलही व असहाबिही” जिस रास्ते पर मै हूँ और मेरे सहाबा है (इस पर चलने वाले जन्नती होंगे)| (सुनन तिरमिज़ी:2641)